

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

पटना, दिनांक

विषय- विभागान्तर्गत 21 (इक्कीस) पोलिटेकनिक संस्थानों में छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक के क्रय हेतु प्रतिसंस्थान रू. 5,00,000=00 (पांच लाख रुपये) मात्र की दर से कुल रू. 1,05,00,000=00 (एक करोड़ पांच लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागान्तर्गत 21 (इक्कीस) पोलिटेकनिक संस्थानों में छात्र/छात्राओं के उपयोग हेतु प्रतिसंस्थान रू. 5,00,000=00 (पांच लाख रुपये) मात्र की दर से कुल रू. 1,05,00,000=00 (एक करोड़ पांच लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)
1	राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग, पटना	500,000.00
2	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, फुलवारीशरीफ, पटना	500,000.00
3	राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी	500,000.00
4	राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा	500,000.00
5	राजकीय पोलिटेकनिक, गया	500,000.00
6	राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा	500,000.00
7	राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर	500,000.00
8	राजकीय पोलिटेकनिक, मधुबनी	500,000.00
9	राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली	500,000.00
10	राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावां	500,000.00
11	राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई	500,000.00
12	राजकीय पोलिटेकनिक, बांका	500,000.00
13	राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर	500,000.00
14	राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी	500,000.00
15	ब्रजकिशोर ना. सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज	500,000.00
16	राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा	500,000.00
17	का. ना. सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, समस्तीपुर	500,000.00
18	राजकीय पोलिटेकनिक, बक्सर	500,000.00
19	राजकीय पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी	500,000.00
20	राजकीय पोलिटेकनिक, सीवान	500,000.00
21	राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा	500,000.00
	कुल	10,500,000.00

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 105-बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष- 0106- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड 43-2203001050106) के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।
4. इस राशि की निकासी कोषागार, संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. उक्त स्वीकृत राशि से सिमेस्टर वार उपलब्ध एवं आवश्यक पुस्तको का GAP ANALYSIS तैयार कर उन्ही पुस्तक का क्रय किया जायेगा कि एक पूरे सिमेस्टर के लिए आवश्यक पुस्तक की संख्या पूर्ण हो जाय।
6. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।
7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
8. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मिर्जा आरिफ रजा)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना - 64 / 2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना - 64 / 2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना - 64 / 2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, संबंधित पोलिटेकनिक संस्थान, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना - 64 / 2019-

992

/पटना, दिनांक- 12/3/2020

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव